ग्राम पंचायत बगाहर, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, जिला शिमला
के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018

1 प्रस्तावना

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र., को सोंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बगाहर, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, जिला शिमला के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

(i) प्रधान

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्रीमती संतोष चौहान	1.4.2015 से 22.01.2016 तक
2	श्री राजीव शर्मा	23.01.2016 से 31.3.18 तक

(ii) सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री कुलदीप	1.4.2015 से 31.3.18 तक

(ख) गम्भीर अनियमितता का सार:- ग्राम पंचायत बगाहर, तहसील कोटखाई, विकास खण्ड जुब्बल, जिला शिमला के अवधि 1/4/2015 से 31/3/2018 तक के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र0 सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹) लाखों में
1	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना	6(क)	0.26
2	विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यों व Mustroll भुगतान हेतु राशि का भुगतान नकद किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना	7	5.43
3	दिनांक 31.03.2018 तक अनुदान का उपयोग न करना	9	2.00
4	निर्माण कार्यों का पूर्ण निष्पादन न करना	10	9.36
5	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	11	4.40
6	क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भंडारण पुस्तकों में	12	4.40

	प्रविष्टि न करना		
7	भुगतान से संबन्धित वास्तविक प्राप्तिकर्ता रसीद प्राप्त न करना	13	2.30
8	मानदेय का अनियिमित भुगतान	14	0.05

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत बगाहर, तहसील कोटखाई, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई , जिला शिमला के अवधि 1/4/2015 से 31/3/2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण , श्री अनिल कुमार , सहायक नियंत्रक द्वारा अवधि 6.08.2018 से 23.08.18 तक के दौरान वगाहर कोटखाई, जिला शिमला के कार्यालय में किया गया। लेखाओं का विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया , जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है:-

वितीय वर्ष	आय	व्यय
2015-16	06/2015	07/2015
2016-17	11/2016	04/2016
2017-18	03/2018	02/2018

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत वगाहर , तहसील कोटखाई, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई , जिला शिमला के अवधि 01.04.15 से 31/03/18 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹8000 आँका गया । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि . प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 7/2018 दिनांक 23.08.2018 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बगाहर से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

सचिव, ग्राम पंचायत बगाहर द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार MG NREGA,14वें वित् आयोग के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की रोकड़ बही मे आय/व्यय को लेखांकित किया गया है तथा साथ ही बैंक खातों में तदानुसार जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित आय व्यय के सम्बन्ध में Ledger Accounts नहीं

बनाए गए है। Ledger Accounts नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय , व्यय को अलग -अलग नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिस का विस्तृत विवरण संलग्न **“परिशिष्ट- 1”** पर दिया गया है:-

वितीय वर्ष	**आरम्भिक शेष (₹)**	**प्राप्तियां (₹)**	**कुल योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तशेष (₹)**
2015-16	1540829.31	1512216.00	3053045.31	1440355.00	1612690.31
2016-17	1612690.31	1922436.00	3535126.31	1145662.00	2389464.31
2017-18	2389464.31	1420662.00	3810126.31	1111652.00	2698474.31

(क) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा वित बर्ष 2017-18 के अंत मे आय तालिका न बनाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) , (2) , (3) व 10(1) के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव रोकड़ बही को नियमानुसार बनायेगा | व्यय की प्रत्येक मद के लिए वाउचर तैयार कर उसको प्रधान से पूर्ण विवरण सहित पारित करवाकर उसका भुगतान सुनिश्चित करके उसका संरक्षण उचित नस्ति मे करेगा और इसी प्रकार ग्राम पंचायत को प्राप्त होने वाली आय की प्राप्ति पर उस व्यक्ति / फर्म के नाम रसीद जारी करेगा तथा उसकी दूसरी प्रति का रसीद बुक मे संरक्षण व हर रसीद की प्रविष्टि रोकड़ बही मे तिथि बार करके ह र माह के अंत मे बैंक के साथ मिलान करने के साथ-2 उसकी पुष्टि प्रधान से करवायेगा। अभिलेखो की नमूना जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा बर्ष 2015-16 से 2017-18 के अंत मे उक्त वर्णित नियमानुसार रोकड़ बही का बैंक पास बुक से मिलान नहीं किया गया था और न ही बर्ष के अंत मे आय और व्यय का विवरण रोकड़ बही मे बनाया गया था | रोकड़ बहीयों मे कही भी गत शेष नहीं दर्शाये गये थे जबकि लेखा परीक्षा मे जो ग्राम पंचायत की वितीय स्तिथि सचिव द्वारा प्रस्तुत की गई है तथा उसमे जो गत शेष दर्शाया गया है वह बैंक खातों के गत शेषों को आधार मान कर बनाई गई/लिया गया है जोकि नियमानुसार गलत है जबकि वित्तीय स्तिथि रोकड़ बही के वास्तविक शेष के आधार पर बनाई जानी थी और उसका मिलान बैंक खातों के शेषों से किया जाना था | अत: ग्राम पंचायत ने केवल सामान्य रोकड़ मे हस्तगत राशी ₹5790 ही दर्शाई गई थी जिसके फलस्वरूप ₹2698468.31 का जो अंतर पाया गया है उसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

रोकड़ बही का नाम	**31.03.18 को रोकड़ बही**	**31.03.18 को बैंक खातों**	**अंतर (₹)**

	अनुसार शेष (₹)	के अनुसार शेष (₹)	
सामान्य (31)	00.00	1549444.31	1549444.31
निधि (8700)		86070.00	86070.00
14 वे वितयोग		1057164	1057164
सामान्य रोकड़ बही के अनुसार हस्तगत राशी	5790.00	0.00	5790
कुल	**5790.00**	**2692678.31**	**2698468.31**

इस संदर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 2 दिनांक 20.08.2018 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या nil दिनांक शून्य द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बगाहर ने सूचित किया गया कि रोकड़ बही का रख रखाव /संचालन अब प्रिया सॉफ्ट के अनुसार किया जा रहा है तथा भविष्य मे रोकड़ बही का रख रखाव वितीय नियमों के अनुसार भी किया जायेगा | अतः अपेक्षित कार्यवाही के अतिरिक्त वर्णित अंतर का शीघ्र समाधान करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

ग्राम पंचायत बगाहर की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 **पंचायत के खाता "ख" से अर्जित ब्याज ₹1.80 लाख की राशि को खाता "क" में हस्तान्तरित न करना**

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "**ख**" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को पंचायत निधि के स्व : संसाधनों के खाता "**क**" में हस्तान्तरित किया जाना अपेक्षित हैं परन्तु अंकेक्षण में पंचायत के खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता "**ख**" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज **₹180531** को खाता "**क**" में हस्तान्तरित नहीं किया गया था जोकि उक्त वर्णित नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये, खाता "**ख**" में जमा

राशि पर अर्जित ब्याज राशि को खाता "**क**" में हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अवधि 04/2016 से 03/2018 के दौरान खाता "ख" में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि का विवरण

Year	Name of GIA	Amount of Interest Earned (₹)
2016-17 से 2017-18	Genaral cash book a/c No.4221010031(development Grant	180531
	TOTAL	**180531**

6 पंचायत राजस्व के अंतर्गत गृह कर, किराया व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेखों का रख रखाव न करना

पंचायत द्वारा स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए और इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 1 दिनाक 8.08.18 द्वारा मांगी सुचना के प्रत्युतर में लेखा परीक्षा को अ वगत करवाया गया कि अपेक्षित अभिलेख तैयार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के पास तीन दुकाने है जोकि किराए पर दी गई है तथा यह दुकाने कब से और कितने किराए पर दी गयी उससे सम्बन्धित सूचना से भी लेखा परीक्षा को अ वगत नहीं करवाया गया और इसी प्रकार गृह / सम्पति कर से प्राप्त आय से सम्बन्धित भी कोई अभिलेख तैयार नहीं किये गये थे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किस गृह स्वामी से कितना गृह / सम्पति कर प्राप्त हो चुका था और कितना बकाया मे था अभिलेखों का नियमानुसार रख रखा व न करना एक गम्भीर अनियमिता है । क्योंकि इसके अभाव में प्राप्त आय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका । अत: उपरोक्त राजस्व आय से सम्बन्धित अभिलेखों का रख रखाव न करने, के कारणों को स्पष्ट करते हुये अपेक्षित अभिलेखों का तुरन्त रख रखा व किया जायें और यदि कोई बकाया राशि वसूली हेतु शेष बनती है तो नियमानुसार उसकी वसूली पंचायत स्तर पर छानबीन उपरान्त सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायें।

(क) पंचायत राजस्व के अंतर्गत गृह कर ₹0.26 लाख वसूली हेतु शेष

पंचायत की गृह कर से प्राप्त आय से संबन्धित उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2018 तक गृह कर ₹26320 वसूली हेतु शेष था। अत: उपरोक्त राजस्व की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की शीघ्र वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए:-

वर्ष	कुल घर	दर (₹)	आरम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	कुल मांग (₹)	प्राप्ति (₹)	अंत शेष (₹)
2015-16	344	40/-	-	13760	13760	1270	12490
2016-17	347	40/-	12490	13880	26370	0	26370
2017-18	349	40/-	26370	13960	40330	14010	26320

7 विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यों , Must roll भुगतान हेतु ₹5.43 लाख की राशि का नकद भुगतान किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(2) के अनुसार 1000 से अधिक राशि का भुगतान बैंक चैक द्वारा संबन्धित व्यक्ति को किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न व्ययों वाऊचरों , बैंक पास बुकों और चैक बुकों की Counterfoils की पड़ताल करने पर पाया गया कि ₹542836 के व्यय वाऊचरों/Must roll का भुगतान बैंक चैक द्वारा सीधे प्राप्तकर्ता को न करके पंचायत प्रधान /उप प्रधान और पंचायत सचिव को किया दर्शाया गया था। अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि व्यय वाऊचरों पर तो भुगतान बैंक चैक संख्या अंकित करके बैंक चैक द्वारा ही दर्शाया गया था जबकि बैंक पास बुकों और चैक बुकों की Counterfoils के अनुसार सभी बैंक चैक पंचायत प्रधान और पंचायत सदस्यों के नाम जारी किए गए थे , ऐसे सभी भुगतानों का विवरण संलग्न **परिशिष्ट- 2** पर दिया गया हैं। बैंक चैक को संबन्धित व्यक्ति के नाम जारी न करके अपितु पंचायत प्रधान / उप प्रधान और पंचायत सचिव के नाम जारी करने से भुगतान की गई राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता । अत: नियमों की अनदेखी करके भुगतान बैंक चैक द्वारा सीधे प्राप्तकर्ता व्यक्ति को न करके पंचायत प्रधान / उप प्रधान और पंचायत सचिव के नाम जारी किए जाने को या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए। अन्यथा वर्णित सभी भुगतानों की सत्यता की पड़ताल विभागीय तौर पर की जानी सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में सभी भुगतान उक्त नियमानुसार सीधे प्राप्तकर्ता के नाम बैंक चैक जारी करके ही किए जाने भी सुनिश्चित किए जाए। इस संदर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 5/2018 दिनांक 19.08.2018 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या शून्य दिंनाक 21/08/18 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ने सूचित किया गया कि ज़्यादातर भुगतान मजदूरो को किए गए थे , जिनके बैंक खाते नहीं थे तथा भविष्य में सभी भुगतान संबन्धित व्यक्तियों को ही किए जायेगे।

8. बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम, 2002 के नियम 37 के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा विहित फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchyat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार व पारित करना सुनिश्चित किए जाए

9 अनुदान ₹2.00 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों और स्व : स्रोत्रों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2018 को कुल ₹**200000** की अनुदान राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-3** पर दिया गया हैं। अत: अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों का व्यय सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाए।

10. निर्माण कार्यों को पूरा न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों और स्व: स्रोत्रों से निष्पादित निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2018 तक कुल ₹**935735** के निर्माण कार्य अधूरे पडे थे जिनका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-4** पर दिया गया हैं। अत: इन अधूरे पडे निर्माण कार्यो को विहित अवधि के दौरान पूर्ण न करने के कारण जहाँ निधि का अवरोधन हुआ है वहीँ लाभार्थी जनता को भी अपेक्षित लाभों से वंचित होना पड़ा है जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है I अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये इन निर्माण कार्यो को शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायें|

11. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना₹4.40 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचरिकताए प्रावधित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **"परिशिष्ट-5"** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा 440353 के स्टॉक/स्टोर का क्रय उक्त नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है। अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये वर्णित अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में उक्त वर्णित नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12. स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की क्रय वस्तुओं ₹4.40 लाख की भण्डार पुस्तकों में प्रविष्टि यां न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1)(a,b,c एवं d) के अंतर्गत पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार को उसकी स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान क्रय की गई ₹**440353** की विभिन्न मदों , जिनका विस्तृत विवरण **"परिशिष्ट-5"** में दिया गया है , को क्रय करने के उपरांत भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था , जोकि गम्भीर अनियमितता है

क्योंकि इसके अभाव में क्रय की गई सामग्री की खपत की जाँच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी तथा ऐसे में वस्तुओं के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता । अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए क्रय सामग्री से संबन्धित स्टॉक रजिस्टर में व खपत से संबन्धित माप पुस्तिका में लेखांकन करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाएI

13. विभिन्न भुगतानों के संदर्भ में उचित वास्तविक प्राप्तिकर्ता रसीद प्राप्त न करना

नियमानुसार किसी भी मद की खरीद या अन्य कार्य हेतु पंचायत निधि /GIA से भुगतान करने पर सम्बन्धित व्यक्ति /फर्म से वास्तविक प्राप्ति कर्ता रसीद प्राप्त किया जाना अनिवार्य हैं। अंकेक्षण में विभिन्न भुगतानों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹229717 के भुगतानों के संदर्भ में वास्तविक प्राप्तिकर्ता रसीद प्राप्त नहीं की गई थी जिसके कारण भुगतान की पूर्ण सत्यापना अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी । अत : इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

Voucher No./Date	**Cash Book Page No.**	**Amount (₹)**	**To Whom Paid**	**Remarks**
42/14.07.2015	30(GERENAL)	36970.00	M/S RAM GOPAL & SONS KOTKHAI	BILL NO. 0448 DT.1.07.2015 SUPPLY OF BUILDING MATERIALS
02/07.11.2015	51(GERENAL)	108000.00	THE KOTKHAI TRUCK OPERATERS UNION, KOTKHAI	SUPPLY OF GRIT, SAND ,BRICKS ETC. AGAINST BILL NO. 121,120,NIL,NIL,NIL,& BILL NO. 98 AMOUNTING TO RS. 18000/- EACH.
NIL/5.02.2018	84(GERENAL)	22185.00	M/S GOPAL AGENCY, KOTKHAI	SUPPLY OF MS STEEL VIDE BILL NO. 5341 DT. 5/02/18
NIL/8.03.2018	86(GERENAL)	62562.00	APEX HIMACHAL , KKI	SUPPLY OF 2000 NO. CHAKER TILES INVOICE NO.124 DT.3/07/017
Total		**229717.00**		

14. मानदेय के रूप में ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के बदले में मानदेय का भुगतान किया जायेगा , यदि कोई निर्वाचित सदस्य ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थित नहीं होता तो उसे उस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया

जायेगा । अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय भुगतान और ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर (Minutes Register) की जाँच करने पर पाया गया कि बिना सभा में उपस्थिति के कारण निम्न मामलों में निर्वाचित सदस्यों को मानदेय 4700 का अधिक भुगतान किया गया था। अत: बिना सभा में उपस्थिति के निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय के भुगतान का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा पंचायत स्तर पर पूर्ण छानबीन उपरान्त अधिक भुगतान राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाय जाए :-

Excess payment of Honorarium to Panchyat Members, baghar

Name of Member	Date of Meeting for which payment was made	Amount Paid (₹)	Remarks
Sh. Yashvir chauhan	18.11.2015	200	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books
Smt. Tara Devi & Smt.Prabha Devi	01.12.2015	400	Members were absent in the meeting as not signed in the meeting books
Sh.Rakesh Sarkik,Smt.Tara Devi,Prabha Devi & kanta Devi	21.12.2015	800	Members were absent in the meeting as not signed in the meeting books
President, Vice President,& All 5 members	01.01.2016	1000	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books
Sh.Jai krishan Sharma	18.05.16	200	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books
Sh.Rakesh Sarkik,Smt.Nisha Devi	01-09.2016	600	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books
Smt.Santosh	01.11.16	200	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books
Smt.Santosh	01.12.2016	200	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books
Smt. Seema devi	19.12.2016	200	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books
Sh. Prakash Chand	01-08-17	225	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books

Smt. Nisha Devi,Santosh &Sh. Prakash Chand	18-08-17	675	Member was absent in the meeting as not signed in the meeting books
	Total	**4700**	

15. चौकीदार, सिलाई अध्यापिका एवं अन्यों को किए गए के भुगतान के संदर्भ में आवश्यक उपस्थिति रजिस्टर इत्यादिका संधारण न करना

अंकेक्षण अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक के दौरान चौकीदार, सिलाई अध्यापिका एवं अन्यों को किए गए भुगतान की पड़ताल करने पर पाया कि इन सभी कर्मचारियों को मासिक आधार पर भुगतान किया गया था। परन्तु भुगतान के समर्थन में उपस्थिति रजिस्टर का संधारण नही किया गया था जिसके कारण वर्णित कर्मचारियों को किए गए भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अत: इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित छानबीन की जाए और अपेक्षित सत्यापित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाए अन्यथा भुगतान उचित न पाए जाने की अवस्था में सम्बन्धित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

16. नियमानुसार विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख -रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था , जोकि गम्भीर अनियमितता है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

क्रम संख्या	रजिस्टर /अभिलेख का विवरण	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के खाते(Ladgers)	7	29(1)
6	वर्गीकृत सार (Classified Abstract)	8	29(4)
7	किराया माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72(1) (a&b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

17 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है , जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18. विविध अनियमितताँए

(क) रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार नकरना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त आय और अनुदानों को बैंक में जमा करवाया जायेगा तथा इससे सम्बन्धित खाते पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड –B होगे। पंचायत फ़ंड -A में ग्राम पंचायत का स्व : स्रोत्र से प्राप्त आय जमा होगी जबकि पंचायत फ़ंड –B में अनुदानों से प्राप्त आय जमा की जायेगी। सचिव , ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत की आय-व्यय और अनुदानों के लेखांकन हेतु निम्न रोकड़ बहियों का संधारण किया गया है, तथा साथ ही प्राप्त स्व : स्रोत्र आय और विभिन्न अनुदानों को विभिन्न बैंक खातों में तदानुसार ही जमा करवाया गया था , जोकि अनियमित है क्योंकि उपरोक्त वर्णित नियम के अन्तर्गत पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड –B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन एवं संधारण किया जाना चाहिए था। अत : पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड –B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इस संदर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

General Cash Book	इस रोकड़ बही में Own Sources और विभिन्न GIA (Other than Water Shed Grant, एवं MANGERGA) का लेखांकन किया गया था।
Cash Book for MG NAREGA	इस रोकड़ बही में MG NAREGA से संबन्धित रोकड़बही का लेखांकन नही किया गया था।
Cash Book for 14th FC	इस रोकड़ बही में 14th FC Grant से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) के अनुसार वर्ष के अंत में रोकड़ बही में Cash in hand के साथ संबन्धित बैंक खातों का कोई विवरण नहीं दिया गया था। अत : सभी रोकड़ बहियों का संधारण

उपरोक्त वर्णित नियम 7 के अनुसार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ-2 विहित फार्म -7 पर खाता बहियों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था, परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के लेखांकन हेतु विभिन्न खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण नहीं किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है । अत: नियम 29(1) के अनुसार खाता बहियों का संधारण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(घ) हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का किया जाना अनिवार्य था, परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु विहित फार्म -8 पर वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का संधारण नहीं किया गया था जिसके अभाव में अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय को बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अत : नियम 29(4) के अनुसार वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ड) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है । सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत द्वारा नहीं बनाई गई थी जोकि अनियमित है । अत:93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(च) ग्राम पंचायत की आय से संबन्धित विभिन्न अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आय संग्रह के लिए जारी रसीद बुकों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया था। जिसके कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीद बुकों के अन्तर्गत प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था अथवा नहीं ? अत: आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीद बुकों को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही रसीद बुक को जारी करते समय इसकी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए।

(छ) मनरेगा से संबन्धित अभिलेखों की अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक के दौरान मनरेगा से संबन्धित प्राप्त अनुदानों और

भुगतानों को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया हैं। इस सम्बन्ध में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा मौखिक रूप से अंकेक्षण को सूचित किया कि इस अवधि के दौरान समस्त लेन -देन जिलाधीश कार्यालय, शिमला/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सीधे तौर पर किया जाता हैं। चूँकि सभी भुगतान बिल वाउचर पंचायत स्तर पर ही तैयार किये जाते है तथा उसका अभिलेख भी पंचायत स्तर पर ही रखा जाता है इसलिए रोकड़ बही का लेखांकन भी पंचायत स्तर पर किया जाना अनिवार्य है। अत: उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

19 **लघु आपति विवरणिका :-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई थी तथा सभी लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान ही कर लिया गया था।

20 **निष्कर्ष:-** लेखों मे सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/–
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(i)91/2018 खण्ड–1–128131 दिनांक 7.1.19
शिमला–09

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला हि0प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, जिला शिमला हि0प्र0

पंजीकृत 4. सचिव, ग्राम पंचायत बगाहर, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881